प्रेस विज्ञप्ति
25/07/2026

ईडी ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाला मामले में अनेक आवासीय संपत्तियां, दुकानें एवं कृषि भूमि कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाला मामले में जारी धन शोधन जांच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 3.48 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के इंदौर एवं धार जिलों में स्थित आवासीय मकान/फ्लैट, आवासीय भूखंड, वाणिज्यिक दुकानें तथा कृषि भूमि शामिल हैं, जो आरोपियों, लाभार्थियों तथा उनके परिजनों/सह-स्वामियों के नाम पर दर्ज हैं।

ईडी ने जांच की शुरुआत थाना एम.जी. रोड, इंदौर में दर्ज अनेक एफआईआर के आधार पर की थी। इन एफआईआर में इंदौर नगर निगम के कोषागार से फर्जी बिल, जाली कार्यादेश (वर्क ऑर्डर), फर्जी मापन पुस्तिकाओं (मेजरमेंट बुक) तथा अन्य कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से सरकारी धन की धोखाधड़ीपूर्वक निकासी किए जाने का आरोप है। ये अभिलेख उन कार्यों के संबंध में तैयार किए गए थे, जो या तो कभी किए ही नहीं गए थे अथवा वास्तविक कार्यादेशों के तहत पहले ही पूर्ण किए जा चुके थे।

ईडी की जांच में सामने आया कि विभिन्न ठेकेदार फर्मों ने इंदौर नगर निगम तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा/रेजिडेंट ऑडिट विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी कार्यादेश फाइलें एवं फर्जी बिल तैयार कराए तथा उनके आधार पर इंदौर नगर निगम के कोषागार से 103.62 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि का धोखाधड़ीपूर्वक गबन किया। इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बाद में नकद निकाला गया, ठेकेदारों, लोक सेवकों एवं अन्य लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया, संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, अन्य धनराशियों के साथ मिलाया गया तथा संपत्तियों के अधिग्रहण एवं व्यक्तिगत खर्चों में उपयोग किया गया।

इससे पूर्व, ईडी ने दिनांक 03.07.2025 को जारी अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से इस मामले में लगभग 33.65 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। वर्तमान कुर्की के साथ इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 37.14 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत आरोपियों एवं संबंधित संस्थाओं से जुड़े विभिन्न परिसरों पर तलाशी भी की थी, जिसके दौरान लगभग 22.04 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, बहुमूल्य वस्तुएं एवं अन्य परिसंपत्तियां जब्त/फ्रीज की गई थीं। इस प्रकार, इस मामले में अब तक कुल कुर्की एवं जब्ती का मूल्य 59.18 करोड़ रुपये हो गया है।

ईडी ने इस मामले में तीन प्रमुख आरोपियों, अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर एवं राहुल बड़ेरा को दिनांक 01.06.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार भी किया था। ये तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।